फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

सुवादेवी बनाम तहसीलदार नीमकाथाना

प्रार्थना पत्र 128 मु0नं0 275 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.06.2024 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	
पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद भाटिया एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी वकील ने पत्थरगढी किये जाने हेतु सहमती जाहिर की। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड **ग्राम झीराणा पटवार हल्का झिराणा तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 377 रकबा 0.78 हैक्ट0** प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	No objection 26.6.24 Ad RPB
आदेश प्रा0 पत्र 275/2024 निर्णय दिनांक 26.06.2024 उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व **ग्राम झीराणा पटवार हल्का झिराणा तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 377 रकबा 0.78 हैक्ट0** प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर **बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान,** मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक ... 2024 **पत्थरगढ़ी** की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का ... **अथवा बेदखली** की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner